

सूचना

वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक, उत्तर रेलवे, फिरोजपुर भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से फिरोजपुर मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर **वन स्टेशन वन प्रोडक्ट (OSOP)** योजना के तहत स्टाल/कियोस्क स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह योजना इस डिवीजन में अप्रैल 2022 से शुरू हुई थी। नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

1. स्टॉल/कियोस्क लगाने की अवधि 45 दिन की होगी। ऐसे मामलों में, पंजीकरण शुल्क और बिजली शुल्क आनुपातिक रूप से बढ़ेंगे। यह एक निरंतर प्रक्रिया है।
2. आवेदकों द्वारा जमा किए जाने वाले टोकन शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	श्रेणी	45 दिनों के लिए कुल पंजीकरण/टोकन शुल्क (रुपये में)
1	एनएसजी - 1 से एनएसजी - 4 स्टेशनों के लिए	3,000/-
2	एनएसजी - 5 से एनएसजी - 6 स्टेशनों के लिए	1,500/-

उपरोक्त सभी शुल्क जीएसटी सहित है।

3. प्रदर्शित/बेचे जाने वाले उत्पाद निम्नानुसार हैं:

- (i) हस्तशिल्प/कलाकृतियाँ
- (ii) कपड़ा और हथकरघा
- (iii) पारंपरिक वस्त्र
- (iv) स्थानीय कृषि उत्पाद/प्रसंस्कृत/अर्द्ध प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ।

4. OSOP में प्रतिभागियों का चयन इस बात पर विचार करके किया जा सकता है कि इस योजना का लाभ हाशिये पर रहने वाले वर्गों तक पहुँचना चाहिए, अर्थात् पिरामिड के निचले भाग में रहने वाले व्यक्ति। निम्नलिखित को प्राथमिकता दी जाएगी:

(ए) विकास आयुक्त हस्तशिल्प, विकास आयुक्त हथकरघा, या अपेक्षित राज्य/केंद्र सरकार प्राधिकरण द्वारा जारी कारीगर/बुनकर आईडी कार्ड धारक।

(बी) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)/राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी)/खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) आदि के साथ नामांकित/पंजीकृत व्यक्तिगत कारीगर/बुनकर/शिल्पकार।

(सी) पीएमईजीपी (प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूह।

(डी) समाज के हाशिए पर या कमजोर वर्ग।

5. आवेदक को स्टेशन अधीक्षक को एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह दर्शाया गया हो कि ट्रेन संचालन, यात्री सुरक्षा और रेलवे की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली कोई गतिविधि नहीं की जाएगी।

6. आवेदन को संबोधित किया जाना चाहिए और आवेदक द्वारा स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक को जमा किया जा सकता है।

7. पंजीकरण शुल्क में शामिल बुनियादी सुविधा के रूप में 15 दिनों की एक अवधि के लिए प्रति ओएसओपी आउटलेट पर अधिकतम 20 यूनिट बिजली की अनुमति दी जाएगी। 20 यूनिट की सीमा से अधिक बिजली की अतिरिक्त यूनिट के लिए, लागू शुल्क वास्तविक आधार पर लागू होंगे।

8. स्टेशन अधीक्षक सभी अनुमोदित प्रतिभागियों का प्राथमिकता रोस्टर बनायेंगे और स्टेशन प्रबंधक/अनुभागीय सीएमआई द्वारा सभी अनुमोदित आवेदकों की उपस्थिति में स्टेशन पर आयोजित ड्रा के माध्यम से प्राथमिकता स्थापित की जाएगी।

9. इस योजना के लिए स्टेशन पर जगह और बुनियादी ढांचा रेलवे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

10. किसी भी प्रश्न के लिए आवेदक संबंधित स्टेशनों के स्टेशन अधीक्षक या सीएमआई से संपर्क कर सकते हैं।

कृते वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक

उत्तर रेलवे, फिरोजपुर